



Neutral Citation No. - 2026: AHC:5215

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 33906 सन् 2025

अनस

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता

:- अमित कुमार पाण्डेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार सिंह, को सुना गया तथा प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 275 वर्ष 2025 में गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 3/11 के अन्तर्गत, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़, में जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस वाद अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फँसाया गया है और वह दिनांक 29.6.2025 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक न तो घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया और न ही उसके पास से कोई बरामदगी हुई। उसका नाम सह-अभियुक्त के बयान पर उभरा। आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के विरुद्ध आरोपित कोई भी अपराध सिद्ध नहीं होता। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त आमिर को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1.12.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 41360 वर्ष 2025 में पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जमानत पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिहाई की स्थिति में न्याय की प्रक्रिया से भागने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

4. इसके विपरीत, विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता ने जोरदार विरोध किया है, किन्तु इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इस प्रकरण में दिनांक 26.8.2025 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया और दिनांक 3.9.2025 को संज्ञान लिया गया।

5. उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का प्रकरण बनता है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपरोक्त वाद अपराध संख्या में सम्मिलित **अभियुक्त-आवेदक, अनस**, को व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियों पर, समान राशि में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

(iv) आवेदक विचार न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति माफ न की गई हो।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अवर न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

7 जनवरी, 2026

पीपी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।